कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
UTTARAKHAND
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

दिनांक. 03/8/2024

पत्रांक 1718 /18सी0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः– द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6.00 (है0 4–6) से बयेला नाड़ मोटर मार्ग हेतु 4.417 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (Proposal No. FP/UK /ROAD/ 9364/2015)

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 2073/18सी. दिनांक 05.08.2016

उपरोक्त विषयक संदर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2073/18सी0, दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 6271/12(2)अल्मोड़ा दिनांक 28.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 27.11.2018 से पूर्व जिन मार्गो क सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, परन्तु विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उन मार्गो में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है, उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 05.08.2016 को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में आप द्वारा नई दरों पर रु0 1978153.00 का डिमाण्ड नोट दिनांक 28.06.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1051/18सी0 दिनांक 29.04.2024 द्वारा उक्त धनराशि की मांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून से की गई धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त उक्त धनराशि इस कार्यालय द्वारा रु0 1978153.00 दिनांक 15.06.2024 को वन विभाग के नाम ऑनलाईन जमा कर दी गयी है। (प्रतिसंलग्न) तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या पुनः आपको बिन्दुवार प्रेषित की जा रही हैः–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुसार 8.834 है0 ग्राम– फल्द्वाड़ी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं0–5342/ग्यारह–19/2017–18, दिनांक 30.07.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दी गयी है। आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 2237935.00, UTR No. SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.09.2018 द्वारा जमा कर दी गयी थी, पुनः एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रु0 1978153.00, UTR No. SBINR 424170122120 दिनांक 15.06.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। (प्रति संलग्न)
2. **शर्त संख्या–2** के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 3732365.00, UTR No. SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.09.2018 द्वारा कुल रु0–5970300.00 मात्र का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से पूर्व में जमा कर दिया गया है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुसार भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. **शर्त संख्या–4** के अनुसार सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantaion कर दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या–11–306/2014–एफ0सी0 दिनांक 08.08.2014 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–4949/।।।(2)/2014 –03(सा0मा0)/208टी0सी0, दिनांक 09.09.2014 द्वारा लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेड़ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान/पातन की कार्यवाही करते हुए आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससें कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्न–उक्तानुसार

भवदीय,

(इं0 ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक /18सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलौनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

::बचनबद्धता का प्रमाण पत्र::

परियोजना का नामः– द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6.00 (है0 4–6) से बयेला नाइ मोटर मार्ग हेतु 4.417 है0 भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

:: प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी० 6.00 (है० 4–6) से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण में सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation करा दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अल्मोड़ा नाड

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Const. Division P.W.D.
RANIKHET

Executive Engineer
Const. Division P.W.D.
RANIKHET

भारतीय स्टेट बैंक, रानीखेत -00704
Disha Melkani PF NO. 1002061
18 JUN 2024
Maker...... Checker.......

SBIN 424170122120

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CO3701185601180001 Date :03-JAN-18

Div Code : 1856 Division Name : Construction Division P.W.D

Grant No : PAC Scheme : 5054043370304 NV

Name : Executive Engineer CD PWDRanikhet

Project Name : N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 226966743 EXPENDITURE AMT : 175834770 REMAINING AMT : 51131973

To

CTO/Sr.TO/TO/STO

Ranikhet

Please Issue Cheque in favour of Executive Engineer CD PWDRanikhet as per detail below.

1.	Payment by Cheque	5970300.00
2.	**Payment on A/C of following (Through book transfer)**	
2.1	Income Tax -TDS (865800112000000) :	0.00
	Total Payment :	5970300.00

Amount in words : (Rs. Fifty-Nine Lac Seventy Thousand Three Hundred Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Construction Division P.W.D. Ranikhet

Signature with Seal

Executive Engineer

Executive Engineer CD PWDRanikhet

RANIKHET

For Treasury Use

Voucher No

Voucher Date / /

ID :CO3701185601180001 Date :03-JAN-18

Passed Amount Rs 5970300.00

Payment Id :

Amount in words (Rs. Fifty-Nine Lac Seventy Thousand Three Hundred Only.)

Bank Amount Rs 5970300.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

3209
18 अग
4-8-18

1

:–आदेश:–

जनपद अल्मोडा मे विकास खण्ड द्वाराहाट, के अर्न्तगत द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग मे बयला–नाड मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.417 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–8.834 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे शासनादेश संख्या-1332/XVIII(II)/2014-18(59)/2013, दिनांक 07 जुलाई,2014 के प्राविधानों के आधार पर उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति के साथ प्राप्त तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 148/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत, के पत्रांक संख्या–1378/27सी दिनांक 22–06–2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 13.12.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार/उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/747, दिनांक: 07.09 2017 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–फल्द्वाडी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–फल्द्वाडी, तहसील–द्वाराहाट, के गै0ज0 नि0ख0खा0संख्या–145 की श्रेणी–9(3)ग "गोचर पशुचर" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212, मध्य, 4244 व 4246 कुल अर्थात कुल 14 खेत नम्बरानों की कुल 8.834 हैक्टेयर 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 5342/ग्यारह– 19 /2017–18, दिनांक: 30 जुलाई, 2018

2241
1-8-18

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन प्रभाग, अल्मोडा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3– उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोडा

सं0- 2241/990 सी-01/18, दि0-01.08.18,
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1/8/18
अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0
अल्मोडा

गैर ज0वि0 खतौनी नकल

ग्राम– फल्दाड़ी राउ0नि0 क्षेत्र– फल्दाड़ी तहसील– द्वाराहाट जिला– अल्मोड़ा

श्रेणी– 9(3)ग– गौचर

खतौनी खाता सं0	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा (है0)	लगान	अन्य विवरण
46	पशुचर गौचर		1	3·026		जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 6341/ग्यारह-19/2017-18, दिनांक 30 जुलाई 2018 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम फल्दाड़ी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फल्दाड़ी तहसील द्वाराहाट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या श्रेणी 9(3)ग गौचर पशुचर भूमि के पैमाइशी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212 मध्ये 4244 व 4246 खेत नम्बरों की कुल 8·834 है. भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सम्मिलित दर्ज की गयी। ह० अस्पष्ट रा.उ.नि. फल्दाड़ी
			19	0·111		
			21	1·266		
			49	0·048		
			51	0·070		
			63	0·018		
			67	0·323		
			↓	↓		
			241	0·326		
			243	0·151		
			↓	↓		
			296	0·864		
			306	0·013		
			319	0·040		
			322	0·266		
			325	0·128		
			↓	↓		
			347	0·490		
			↓	↓		
			4212	0·725		
			4240	0·004		
			4242	0·066		
			4244	0·730		
			4246	0·250		
			↓	↓		
			5486	0·006		
			5488	0·031		
			5502	0·368		
	योग		424	42·344		

महोदय,

नकल खतौनी असल खतौनी से तैयार की।

(हस्ताक्षर) 30·07·2024

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – फल्दाड़ी
तहसील – द्वाराहाट

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :– 05966-220035 फैक्स :– 05966-220035 ई–मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक /18सी. दिनांक, रानीखेत, 5-9-2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग किमी0–6 है0 4–6 से बयेला बाड़ मोटर मार्ग कि निर्माण हेतु 4.417 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं. 9364/2015)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 08ब0/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/947 दिनांक 07.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुसार 8.834 हे. ग्राम फल्द्वाणी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं. 5342/ग्यारह–19/2017–18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया है, आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण,10वर्षो तक रखरखाव ₹ 2237935.00, UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 जमा कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है।

2. शर्त संख्या–2 एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 3732365.00 UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 कुल ₹ 5970300.00 मात्र आन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुसार भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो. बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. शर्त संख्या–5 सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या 11–306/2014–एफ.सी. दिनांक 8.8.14 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 4949/111(2)/2014–03(सामा.)/208 टी.सी. दिनांक 9.9.14 द्वारा लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्तो का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेड़ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तददनुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की पातन की कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 2073 /18सी. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com

UTTARAKHAND

पत्रांक 461 / 18सी०   दिनांक 27/02/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी. 6 से बयेला-नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Online Proposal No. FP/UL/ROAD4364/2015)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 5299/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 23.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त में प्रस्ताव नवीन व पूर्व एवं वर्तमान में प्रभावित वृक्षों की सूची का तुलनात्मक विवरण संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार-4प्रतियों में।

भवदीय,

27/2/26

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 461 /18सी.   तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (तृतीय),निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/2/26

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Kailash-A.Letter

लोक निर्माण विभाग

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

नवीन एवं पूर्व प्रस्ताव

वृत्त का नाम	:–	प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
जनपद का नाम	:–	अल्मोड़ा
खण्ड का नाम	:–	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
कार्य का नाम	:–	जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग, किमी0 6 से बयेला–नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

प्रतिवेदन

जनपद अल्मोड़ा मे द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग किमी0 6 से बयेला–नाड मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण मत्रांलय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/947दिनांक 9.07.2017 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुई है।, पूर्व मे 8.00 किमी0 लम्बाई मे तथा 7.00 मी0 चौडाई वृक्षो की गणना की गई थी जिसमे 370 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। जिसमे से 4.00 किमी0 लम्बाई मे वृक्षो का पातन कर मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, शेष 4.00 किमी0 लम्बाई मे विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मार्ग निर्माण का कार्य नही हो पाया है। शेष बचे 4.00 किमी0 मे वृक्षो के पातन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि शेष बचे 4.00 किमी0 मे पुनः सीमाकन करने हेतु निदेर्शित किया गया। जिसके कम मे मार्ग के संमरेखन मे 9.00 मी0 चौडाई मे पिलर बना कर सीमांकन किया गया। सीमाकन के पश्चात दिनाक 21.11.2025 को वन विभाग के साथ पुनः वृक्षो की गणना की गई जिसमे शेष 4.00 किमी0 मे 9.00 मीटर चौडाई में विभिन्न प्रजाति के 628 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। पूर्व मे वर्ष 2009 मे 8.00 किमी0 लम्बाई तथा 7.00 मी0 चौडाई मे 370 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, वर्तमान मे लगभग 16 वर्ष के पश्चात छोटे वृक्षो के बडे होने एवं 2.00 मी0 अतिरिक्त चौड़ाई मे गणना करने से वृक्षो की संख्या मे बृद्धि हुई है। यह मार्ग फलद्वाडी देवी मन्दिर को को जोड़ता है लगभग 1000 की आवादी इस मार्ग से जुड़ती है मोटर मार्ग का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियो द्वारा काफी रोष जताया जा रहा है। तथा बार–बार आन्दोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः मार्ग की महत्ता को देखते हुए उक्त मार्ग मे शेष 4.00 किमी0 मे प्रभावित होने वाले 628 चीड वृक्षों के छपान/पातन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

अमीन | अपर सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

जनपद अल्मोडा मे द्वाराहाट सुरईखेत मो0मार्ग किमी0 6 से बयेला–नाड मोटर मार्ग मे प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की गणना।(वर्तमान मे प्रभावित)

क0 सं0	आरक्षित वन/पंचायती वन /सिविल वन व नाप भूमि का नाम	किस्म प्रजाति	उपलब्ध वृक्षो की व्यासवार संख्या									
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	योग
01	बयेला नाप/वन पंचायत	चीड	38	59	71	07	01	01	01	–	–	178
02		आम	01		01	–	–	–	–	–	–	02
03		काफल		01	–	–	–	–	–	–	–	01
04	चन्थरिया क0 सं0 13	चीड खडा पेचदार	14	13	21	08	02	–	01	–	01	60
05	बयेला सिविल	चीड खडा पेचदार	17	37	35	21	10	04	01	01	–	126
06.	चन्थरिया क0 सं0 17	चीड खडा पेचदार	30	20	15	05	02	02	01	02	–	77
07	नाड वन पंचायत	चीड खडा पेचदार	35	61	45	23	04	04	05	07	–	184
कुल योग			**135**	**191**	**188**	**64**	**19**	**11**	**09**	**10**	**01**	**628**

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
रानीखेत

ज्नपद अल्मोडा मे द्वाराहाट सुरईखेत मो0मार्ग किमी0 6 से बयेला–नाड मोटर मार्ग मे प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की गणना।(पूर्व मे प्रभावित)

क0 सं0	आरक्षित वन/पंचायती वन /सिविल वन व नाप भूमि का नाम	किस्म प्रजाति	उपलब्ध वृक्षो की व्यासवार संख्या									
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	योग
01	चन्थरिया क0 सं0 15	चीड	–	64	59	18	9	–	–	–	–	150
02	बयेला वन पंचायत	चीड	–	78	64	22	13	1	–	–	–	178
03	चन्थरिया क0 सं0 13	चीड	–	20	1	–	2	–	–	–	–	23
04	चन्थरिया क0 सं0 17	चीड	–	8	6	1	–	–	–	–	–	15
05	नाड वन पंचायत	चीड	–	3	1	–	–	–	–	–	–	4
	कुल योग		–	**191**	**131**	**41**	**24**	**1**	**09**	**10**	**01**	**370**

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

51

कार्यालय,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 5299/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 23/02/2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

विषय:– जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग किमी0 6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।(Online Proposal No.FP/UK/ROAD/9364/2015)

संदर्भ– आपका पत्रांक 281/18सी0 दिनांक 03.02.2026।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा मोटर मार्ग में 4.00 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने व अवशेष 4.00 किमी0 लम्बाई में प्रभावित वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में इस कार्यालय को लिखा गया है, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई भी विस्तृत विवरण/अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है। आपको स्पष्ट कराना है कि विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–09 के अनुसार अधिकतम 370 वृक्षों का पातन ही किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण पर अवशेष 4.00 किमी0 लम्बाई में ही 628 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु लिखा गया है। प्रकरण पर अवशेष वृक्षों के पातन हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यकीय है, जिस हेतु आप वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव नवीन व प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की सूची का तुलनात्मक विवरण के साथ तैयार कर इस कार्यालय को 04 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

O/C